आयोजनागत

संख्या–501 / XXIV(1) / 2005

प्रेषक,

नम्रता कुमार,
अपर सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

राज्य परियोजना निदेशक,
उत्तरांचल सभी के लिए शिक्षा परिषद्,
देहरादून।

शिक्षा अनुभाग–1(बेसिक) देहरादून दिनांक ०५. ०९. .2005

विषयः– सर्व शिक्षा अभियान के संचालन हेतु राज्यांश अवमुक्त करने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या –रा0प0नि0 /910/2005–06 दिनांक 9.8.2005 एवं शासनादेश संख्या–407/XXIV(1)/2005 दिनांक 12.7.2005 के कम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सर्व शिक्षा अभियान योजना के अन्तर्गत शासनादेश संख्या–279/XXIV(1)/2005–44/2004 दिनांक 13.5.2005 के द्वारा निदेशक, विद्यालयी शिक्षा उत्तरांचल के निवर्तन पर रखी गयी धनराशि रू0 32.17 करोड़ में से श्री राज्यपाल महोदय सर्व शिक्षा अभियान योजना के संचालन हेतु, भारत सरकार द्वारा वर्ष 2005–06 के लिए पत्र दिनांक 19.7.2005 द्वारा अवमुक्त की गयी धनराशि रू0 1781.00 लाख के सापेक्ष रू0 593.67 लाख /– (रूपये पांच करोड़ तिरानब्बे लाख सड़सठ हजार मात्र) की धनराशि 25 प्रतिशत राज्यांश के रूप में व्यय करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

2– प्रश्नगत धनराशि का व्यय भारत सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार स्वीकृत मदों पर ही किया जायेगा तथा नियमानुसार मितव्ययता का ध्यान भी रखा जायेगा।

3– इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2005–06 के अनुदान संख्या–11 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक –2202– सामान्य शिक्षा–आयोजनागत–01– प्रारम्भिक शिक्षा–800–अन्य व्यय –01–केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना–0104– सर्व शिक्षा अभियान (25 प्रतिशत राज्यांश) –20–सहायक अनुदान/अशंदान/राजसहायता के नामें डाला जायेगा।

0509050007

आयोजनागत

संख्या–470/XXIV(1)/2005–8/2004

प्रेषक,

नम्रता कुमार,
अपर सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

निदेशक,
विद्यालयी शिक्षा,
उत्तरांचल देहरादून।

शिक्षा अनुभाग–1(बेसिक) देहरादून दिनांक 23 अगस्त,2005

विषयः– विश्व खाद्य कार्यक्रम द्वारा संचालित इन्डिया मिक्स योजनान्तर्गत दुलान व्यय की अनुमति विषयक।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या –एमडीएम/13301/2005–06 दिनांक 14.7.2005 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद चमोली, टिहरी एवं उत्तरकाशी में संचालित विश्व खाद्य कार्यक्रम द्वारा ब्रिटानिया बिस्कुट वितरण हेतु शासनादेश संख्या–279/XXIV(1)/2005–44/2004 दिनांक 13.5.2005 द्वारा आपके नियंत्रण पर पोषाहार दुलान योजना के अन्तर्गत रखी हुई धनराशि रू0 42.10 लाख को व्यय करने की राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

2– प्रश्नगत धनराशि का व्यय निर्धारित दिशा निर्देशों/मानकों के अनुसार स्वीकृत मदों पर ही नियमानुसार किया जाये।

3– इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2004–05 के अनुदान संख्या–11 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक –2202– सामान्य शिक्षा– आयोजनागत–01– प्रारम्भिक शिक्षा–102–अराजकीय प्राथमिक विद्यालयों को सहायता–21– पोषाहार के दुलान भाड़े का भुगतान –20– सहायक अनुदान/अंशदान/राजसहायता के नामे डाला जायेगा।

4– यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या–89/वित्त अनुभाग–4/2005 दिनांक 18.8.2005 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।

भवदीय,

(नम्रता कुमार)
अपर सचिव।

संख्या व दिनांक तदैवः–

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1– महालेखाकार, उत्तरांचल, देहरादून।
2– निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें उत्तरांचल, देहरादून।
3– कोषाधिकारी चमोली/ उत्तरकाशी/ टिहरी।
4– अपर जिला शिक्षा अधिकारी, चमोली/ उत्तरकाशी/ टिहरी।
5– राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, सचिवालय परिसर, देहरादून।
6– वित्त अनुभाग–4/ नियोजन अनुभाग।
7– गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(संजीव कुमार शर्मा)
अनु सचिव।

आयोजनागत

संख्या–475/XXIV(8)/2005–43/2005

प्रेषक,

राजेन्द्र सिंह,
उप सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

प्राचार्य,
कुमायूं इंजीनियरिंग कालेज,
द्वाराहाट–अल्मोड़ा।

शिक्षा अनुभाग–8 (तकनीकी) देहरादून दिनांक 23 अगस्त,2005

विषयः– कालेज परिसर में प्रस्तावित प्रशिक्षण एवं सेवायोजन भवन के आंगणन की स्वीकृति विषयक।

महोदय,

उपयुक्त विषयक आपके पत्रांक –केईसी/स्था./123/2005 दिनांक 14.6.2005 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्यपाल महोदय कुमायूं इंजीनियरिंग कालेज द्वाराहाट, अल्मोड़ा में प्रस्तावित प्रशिक्षण एवं सेवायोजन भवन हेतु कुमायूं मण्डल विकास निगम नैनीताल द्वारा उपलब्ध कराये गये आगणन रू0 69.00 लाख के सापेक्ष रू0 50.50 लाख (रूपये पचास लाख पचास हजार मात्र) के आंगणन पर प्रशासनिक एवं वित्तीय अनुमोदन प्रदान करते हुए रू0 50.50 लाख (रूपये पचास लाख पचास हजार मात्र) की धनराशि की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2– उपर्युक्त धनराशि का व्यय वर्तमान वित्तीय नियमों के अनुसार किया जाय और जहां आवश्यक हो व्यय करने से पूर्व सक्षम अधिकारी की प्राविधिक स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय। स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप पर यथासमय शासन तथा महालेखाकार को उपलब्ध करा दिया जाय।

3– आगणन में दर्शित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों को जो दरें शिडयूल आफ रेट में स्वीकृत नहीं है अथवा बाजार भाव से ली गयी है, की स्वीकृति नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता का अनुमोदन आवश्यक होगा।

4– कार्य कराने से पूर्व विस्तृत आगंणन /मानचित्र गठित कर नियमानुसार सक्षम अधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी होगी बिना प्राविधिक स्वीकृति के कार्य प्रारम्भ न किया जाय।

5– कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितना कि स्वीकृत मानें है, स्वीकृत मानें से अधिक व्यय कदापि न किया जाय।

6– एक मुश्त प्राविधान में कार्य कराने से पूर्व विस्तृत आगंणन गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक होगा।

7– कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि के मद्य नजर रखते एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों के अनुरूप ही कार्य को सम्पादित कराते समय पालन करना सुनिश्चित करें।

8– आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृति की गयी है, उसी मद पर व्यय किया जाए। एक मद की राशि का दूसरी मद में व्यय कदापि न किया जाय।

9– निर्माण सामग्री को प्रयोग में लाने से पूर्व किसी प्रयोगशाला से टैस्टिंग करा ली जाय, तथा उपयुक्त पायी जाने वाली सामग्री को प्रयोग लाया जाए।

आयोजनागत
संख्या–518/XXIV(8)/2005

प्रेषक,

राजेन्द्र सिंह,
उप सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

निदेशक,
प्राविधिक शिक्षा उत्तरांचल,
श्रीनगर गढ़वाल।

शिक्षा अनुभाग–8 (तकनीकी) देहरादून: दिनांक 12 अगस्त,2005

विषयः– राजकीय पालीटेक्निक नरेन्द्रनगर के आवासीय भवनों का जीर्णोधार के लिए धनराशि की स्वीकृति के संबंध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक– 410/नि.प्रा.शि.उ./ प्लान छः–1 /2005–06 दिनांक 3.5.2005 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राजकीय पालीटेक्निक नरेन्द्रनगर के आवासीय भवनों के जीर्णोद्धार हेतु, गत वित्तीय वर्ष 2004–05 में शासनादेश संख्या–232/XXIV(8)/2005–22/2005 दिनांक 18.3.2005 द्वारा रू0 4.89 लाख (रूपये चार लाख नवासी हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी थी। सम्प्रति इस हेतु आपके द्वारा उपलब्ध कराये गये आंगणन रू0 15.44 लाख के सापेक्ष रू0 12.35 लाख (रूपये बारह लाख पैंतीस हजार मात्र) की लागत पर प्रशासनिक एवं वित्तीय अनुमोदन प्रदान करते हुए, इस कार्य हेतु अवशेष धनराशि रू0 7.46 लाख (रूपये सात लाख छियालीस हजार मात्र) की स्वीकृति, शासनादेश संख्या–416/XXIV(8)/2005–56/2004 दिनांक 20.5.2005 के द्वारा राजकीय बहुधन्धी संस्थाओं के भवन का निर्माण/ सुदृढ़ीकरण नामक योजना में आपके निवर्तन पर रखी गयी धनराशि रू0 410.00 लाख, में से प्रदान करते हुए व्यय करने की भी अनुमति निम्न शर्तो के अधीन प्रदान की जाती है:

2– आगणन में उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/ अनुमोदित दरों को जो दरें शिडयूल आफ रेट में स्वीकृत नहीं है, अथवा बाजार भाव से ली गई हो, की स्वीकृति प्राप्त करनी होगी, बिना प्राविधिक स्वीकृति के कार्य प्रारम्भ न किया जाय।

3– कार्य कराने से पूर्व विस्तृत आगणन /मानचित्र गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी होगी, बिना प्राविधिक स्वीकृति के कार्य प्रारम्भ न किया जाय।

4– कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितना कि स्वीकृत मार्म है, स्वीकृत मार्म से अधिक व्यय कदापि न किया जाय।

5– एक मुश्त प्राविधान को कार्य करने से पूर्व विस्तृत आगणन गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक होगा।

6– कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि के मध्य नजर रखते एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टयों के अनुरूप ही कार्य को सम्पादित कराते समय पालन करना सुनिश्चित करें।

7– कार्य कराने से पूर्व समस्त स्थल का भली–भांति निरीक्षण उच्च अधिकारियों के साथ अवश्य करा लें। निरीक्षण के पश्चात स्थल आवश्यकतानुसार निर्देशों तथा निरीक्षण टिप्पणी के अनुरूप कार्य किया जायें।

8– आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृति की गयी है, उसी मद पर व्यय किया जाए, एक मद का दूसरी मद में व्यय कदापि न किया जाय।

9– निर्माण सामग्री को प्रयोग में लाने से पूर्व किसी प्रयोगशाला से टैस्टिंग करा ली जाय, तथा उपयुक्त पायी जाने वाली सामग्री को प्रयोग लाया जाए।

10– इस संबंध में होने वाला चालू वित्तीय वर्ष 2005–06 के अनुदान संख्या–11 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक– 4202– शिक्षा खेलकूद तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय– 02– तकनीकी शिक्षा– आयोजनागत – 104– बहुशिल्प – 03 – राजकीय बहुधन्धी संस्थाओं के (पुरूष/ महिला) भवन का निर्माण / सुदृढ़ीकरण – 24– वृहद निर्माण कार्य के नामे डाला जावेगा।

11– यह आदेश वित्त विभाग अशासकीय संख्या–78/वित्त अनुभाग–4/ 2005 दिनांक 8.8.2005 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।

भवदीय,

(राजेन्द्र सिंह)
उप सचिव।

संख्या व दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. महालेखाकार, उत्तरांचल, देहरादून।
2. कोषाधिकारी, पौड़ी।
3. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें, उत्तरांचल, देहरादून।
4. वित्त अनुभाग–4/ नियोजन अनुभाग।
5. राष्ट्रीय सूचना केन्द्र सचिवालय परिसर, देहरादून।
6. परियोजना प्रबन्धक, राजकीय निर्माण निगम, हरिद्वार।
7. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(संजीव कुमार शर्मा)
अनुसचिव।